

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 1350]
 नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2013/ज्येष्ठ 24, 1935

 No. 1350]
 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2013/JYAISTHA 24, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2013

का.आ. 1534 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

2623 GI/2013

(1)

| "1. | राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, (नया रारा सं. 69, चित्तूर से रानीपेट्टी और नया रारा | आंध्र | प्रदेश |
|-----|---|-------|--------|
|     | सं. 40 चित्तूर से चेन्नई) सं. 9 (नया रारा सं. 65) [किमी 40.000 से किमी        | की    | राज्य  |
|     | 271.740 (हैदराबाद से नंदीग्राम से विजयवाड़ा तक खंं। को छोड़कर)] [किमी         | सरका  | र" ।   |
|     | 423.800 से किमी 493.000 (कर्नाटक सीमा संगारेड्पी)] और [किमी 0.000 से          |       |        |
|     | 65.000 (विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम) तक खंं। को छोड़कर], सं. 16 (नया              |       |        |
|     | रारा सं. 63), सं. 18 (नया रारा सं. 40) (करनूल, कणप्पा चित्तूर, रानीपेट्टी)    |       |        |
|     | [किमी 167.750 से किमी 356.502 (काप्पा से कुरनूल) तक खंा को                    |       |        |
|     | छोड़कर], सं. 18ए, (नया रारा सं. 140) (किमी 41.70 से किमी 58.85 तक खं□         |       |        |
|     | को छोड़कर), सं. 43 (नया रारा सं. 26), सं. 63 (नया रारा सं. 67), सं. 202 (नया  |       |        |
|     | रारा सं. 163) [किमी 18.600 से किमी 54.000 (हैदराबाद से यादगिरी) तक            |       |        |
|     | खं। को छोड़कर], सं. 205 (नया रारा सं. 42 अंनतपुर-मदनापल्ली-कृष्णागिरी से,     |       |        |
|     | रारा सं. 71 मदनापल्ली-रेनीगुंता से और रारा 716 तिरूतानी, रेनीगुंता से)        |       |        |
|     | [किमी 274.800 से किमी 341.600 तक खंं। को छोड़कर], सं. 214(नया रारा            |       |        |
|     | सं. 165 पामरू से दिगामारू और 216 कठीपुी से दिगामारू तक), सं. 214ए             |       |        |
|     | (नया रारा सं. 216,), सं. 219 (नया रारा सं. 42), सं. 221 (नया रारा सं. 30),    |       |        |
|     | सं. 222 (नया रारा सं. 61), सं. 234 (नया रारा सं.75), नया रारा सं. 42,         |       |        |
|     | नया रारा सं. 67 और नया रारा सं. 71, नया रारा सं. 150, नया रारा सं. 161        |       |        |
|     | नया रारा सं. 167 और नया रारा सं.326, नया रारा सं. 340, नया रारा सं.           |       |        |
|     | 363, नया रारा सं. 365, नया रारा सं. 565, नया रारा सं. 765 के उतने भाग         |       |        |
|     | जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं ।                                       |       |        |
|     |   |       |        |

[फा.सं. एनएच-14013/10/2013-पीएं🛛 एम]

माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.1230 (अ), तारीख 16 मई, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2013

**S.O.1534(E)**.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely;—

| "1 | So much of National Highways No.4 (New NH No. 69 from Chittoor to       | State Government of |
|----|---|---------------------|
|    | Ranipettai and New NH No. 40 from Chittoor to Chennai), No. 9(New NH    | Andhra Pradesh."    |
|    | No. 65 [excluding from Km. 40.000 to Km. 271.740 (from Hyderabad to     |                     |
|    | Nandigrama to Vijayawada), from km 423.800 to km 493.000 (Karnataka     |                     |
|    | Border-Sangareddy), and from Km.0.000 to 65.000 (Vijayawada to          |                     |
|    | Machilipatnam)], No. 16 (New NH No. 63), No. 18(New NH No. 40           |                     |
|    | (Kurnool, Kadapa, Chittoor, Ranipettai) [excluding from Km. 167.750 to  |                     |
|    | km. 356.502 (Kadapa to Kurnool)], No. 18A (New NH No. 140 (excluding    |                     |
|    | from Km.41.70 to Km. 58.85), No. 43 (New NH No. 26), No.63(New NH       |                     |
|    | No. 67), No. 202(New NH No. 163 [excluding from Km.18.600 to            |                     |
|    | Km.54.000 (from Hyderabad to Yadgiri)], No. 205(New Nos. 42 from        |                     |
|    | Annantapur-Madanapalli-Krishnagiri, 71 from Madanapalli-Renigunta and   |                     |
|    | 716 from Tirutani, Renigunta (excluding from km.274.800 to km 341.600), |                     |
|    | No. 214 (New Nos. 165 Pamarru to Digamarru and 216 from Kathipudi to    |                     |
|    | Digamarru), No. 214A(New No.216), No. 219(New NH No. 42), No.           |                     |
|    | 221(New NH No.30), No. 222(New NH No. 61), No. 234(New NH               |                     |
|    | No.75), New NH No. 42, New NH No.67, and New NH No.71, New NH           |                     |
|    | No. 150, New NH No.161, New NH No. 167, New NH No. 326, New NH          |                     |
|    | No.340, New NH No.363, New NH No.365, New NH No.565, New NH             |                     |
|    | No.765, as are situated within the State of Andhra Pradesh.             |                     |
|    | 10.703, as are situated within the state of Andria Fladesh.             |                     |
|    |   |                     |
|    |   |                     |
|    |   |                     |

[F.No. NH-14013/10/2013-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1230 (E), dated the 16th May, 2013.